

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़ (राज.)

परिवाद संख्या 96/2024

दायर दिनांक:- 09.12.2024

पीठासीन अधिकारी:- विजयेश कुमार पण्ड्या, आर.ए.एस.

खाद्य सुरक्षा अधिकारी जरिये
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़

-प्रार्थी

बनाम

श्री बद्रीलाल लबाना पुत्र श्री कोदर, मैसर्स नमन किराणा स्टोर उदयपुर रोड प्रतापगढ़

- अप्रार्थी

:-आदेश:-

दिनांक 15/07/2025

शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प1 (2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ ने अप्रार्थी के विरुद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने सबस्टेण्डर्ड नमक (फ़ेश) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(11) का उल्लंघन किया है। जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट नोटीफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र नोटीफिकेशन की प्रति, माल खरीद की प्रति, बिल असल, फार्म नं. 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा द्वारा फार्म नं. 6 की प्राप्ति रसीद एवं नमूना मय फार्म नं0 6 की प्राप्ति रसीद प्रस्तुत की है। अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीनों भागों की फार्म नं0 6 की पुश्त पर प्राप्ति रसीद, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा की नमूना जॉच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र विक्रेता द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र ,प्रार्थना पत्र मय पहचान पत्र तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 05.06.2024 को 11.00 ए.एम. पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स नमन किराणा स्टोर उदयपुर रोड प्रतापगढ़ पहुँचा। वहां पर नमक (फ़ेश) 1 किलोग्राम के 10 पैकेट पैक अवस्था में रखे थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय दिया व उसका परिचय लिया। खाद्य कारोबारकर्ता ने अपना नाम बद्रीलाल लबाना पुत्र श्री

न्याय निर्णयन अधिकारी
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्र




कोदर बताया। विक्रेता से खाद्य अनुज्ञापत्र मांगा जो विक्रेता के पास उपलब्ध था। पैक अवस्था में रखे नमक (फ्रेश) पर शक होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रपत्र 5 अ भरकर दिया गया ओर बताया कि उक्त का पैक अवस्था में एफएसएसए के तहत सेम्पल लिया जा रहा है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त 1 किलोग्राम के नमक के 4 पैक पैकेट वास्ते नमूना जाँच हेतु खरीदी जिसकी कीमत विक्रेता को 100 रु नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता, गवाह के हस्ताक्षर है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिस पर विक्रेता एवं गवाह ने समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5 ए की एक प्रति विक्रेता का देकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा नमक के पैक पैकेट पर विक्रेता एवं गवाह के सामने लेबल तैयार कर प्रत्येक पैकेट पर चिपकाये ओर लेबल पर डीओ के कोड क्रमांक, दिनांक व स्थान दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने स्वयं ने हस्ताक्षर किये तथा विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग-अलग नियमानुसार भुरे कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ प्रतापगढ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप वाई 2204 नियमानुसार चारो नमूना पैकेट पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार पेपर स्लिप व रेपर पर होते हुए करवाये, गवाह के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना के रेपर पर कोड नम्बर, सिरियल नम्बर, वस्तु का नाम दिनांक व स्थान अंकित कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

कार्यालय पहुँच कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की प्रत्येक पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया गया था। दो फार्म संख्या 6 की प्रतियां अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा को देकर रसीद प्राप्त की। 1 नमूना मय फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा को जमा करा कर रसीद प्राप्त की। शेष 2 सील बंद नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटर कवर में सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जमा करवाये जाने का उल्लेख किया गया है। जिनकी प्राप्ति रसीद फार्म नं0 6 की पुस्त पर है। शेष चौथा नमूना मय फार्म नं0 6 की प्रति चपड़ी से सिलबन्द सिलमोहर कर जमा कराई, प्राप्ति रसीद फार्म नं0 6 की पुस्त पर है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद में यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अग्रेषण पत्र द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मालूम हुआ कि


न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ

उनके द्वारा लिया गया खाद्य पदार्थ नमक (फ्रेश) का नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया है । अभिहित अधिकारी द्वारा विक्रेता को धारा 46(4) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड पत्र भेजे गये । विक्रेता द्वारा लायसेंस की छायाप्रति प्रस्तुत की ।


अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रकरण तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया । इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद प्रस्तुत किया ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने पर , प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री बद्रीलाल लबाना को अपना पक्ष स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्तुत करने हेतु विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया । अप्रार्थी को कई बार जवाब अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया ।

परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या पीएच लेब/बांस/एक्ट/2024/699 दिनांक 19.06.2024 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा विक्रय हेतु नमक (फ्रेश) का नमूना जांच रिपोर्ट में सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया है ।

अतः उपरोक्त रिपोर्ट बताती है कि अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(11) के तहत अमानक पदार्थ बेचने का दोषी है जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है । उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्तों को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित है । अतः अप्रार्थी के वहां पर दिनांक 05.06.2024 को उपलब्ध कुल माल 10 पैकेट की कुल राशि 250/-रु की दस गुना शास्ति 2500/-रु अक्षरे दौ हजार पाँच सौ रु शास्ति आरोपित की जाती है । अप्रार्थी अभियुक्त उपरोक्त शास्ति की राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ के नाम जरिये डी0डी0/नगद न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में निर्णय दिनांक 15.07.2025 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2025 को लिखाया जाकर सरे न्यायालय सुनाया गया ।



(विजयेश कुमार पण्डेया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़

कमांक / रीडर / 2025 /

दिनांक 15.07.2025

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर ।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ ।
3. श्री बद्रीलाल लबाना पुत्र श्री कोदर, मैसर्स नमन किराणा स्टोर उदयपुर रोड़ प्रतापगढ़


(विजयेश कुमार पण्डया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़